

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) तथा (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।


महोदय,

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) तथा (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 राजस्थान विधानसभा में क्रमशः दिनांक 28-03-2017 तथा 30-03-2017 को उपस्थापित किये जा चुके हैं। उक्त प्रतिवेदनों की प्रतियाँ निदेशक, वित्त (बजट) विभाग के पत्र क्रमांक क्रमशः प-7(1)वित्त-1(1) आ.व्य./2016 दिनांक 06-04-2017 तथा प-7(12)वित्त-1(1)आ.व्य./2016 दिनांक 06-04-2017 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। यदि प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई हो तो कृपया वित्त विभाग (बजट अनुभाग) से प्राप्त करने की व्यवस्था करावें।

जैसा कि आपको विदित है भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के उक्त प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को प्रतिवेदनों के सदन में उपस्थापित किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हैं। पूर्व में कतिपय विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति को जनलेखा समिति ने अत्यधिक गंभीरता से लिया है और शासन को निर्देश दिये हैं कि भविष्य में उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः अनुरोध है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) तथा (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट आपके विभाग/नियंत्रणाधीन विभागों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि 3 माह (क्रमशः दिनांक 27-06-2017 तथा 29-06-2017 तक) में महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को 25-25 प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें। राजस्थान विधान सभा को भिजवाये जाने वाले संवीक्षित उत्तर की चार प्रतियाँ महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान तथा दो प्रतियाँ वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। यह भी निवेदन है कि उक्त प्रतिवेदनों में दर्शाई गई त्रुटियों/कमियों को मध्यनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से समुचित शासकीय निर्देश जारी किये जाकर उनकी पालना सुनिश्चित कराने की कार्रवाई भी करावें। प्रतिवेदनों में दर्शायी गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर वांछित कार्रवाई भी अमल में लायी जानी अपेक्षित है।

भवदीय,




(सुरेश चन्द्र दिनकर)

शासन सचिव, वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा/लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर अविलम्ब अपने प्रशासनिक विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
5. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव वित्त विभाग।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।
7. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सेल) राजस्थान, जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त शासन सचिव